"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2015—फाल्गुन 15, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 1/01/2014/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेकानंद रेड्डी, भा.व.से. (2009), वन मण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री विवेकानंद झा, भा.व.से. (2009), वन मण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मण्डल, धरमजयगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

3. श्री मनिवासगन एस., भा.व.से. (2009), वन मण्डलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मण्डल, भानुप्रतापपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सुकमा के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्रीमती सतोविशा समाजदार, भा.व.से. (2010), उप वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ करता है.

उपरोक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री विजय कुमार धुर्वे (भाप्रसे-2003), संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, संचालक, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, जेल/परिवहन विभाग, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

2. सुश्री श्रुति सिंह (भाप्रसे-2006), प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/5.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 464/दिल्ली-वि.स./2015 दिनांक 14 जनवरी, 2015 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा चुनाव-2015 के मतदान की तिथि 07 फरवरी, 2015 (शनिवार) निर्धारित की गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी ऐसे कार्यालय जो निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित है, में मतदान हेतु नियत उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 1-58/2001/एक/15.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-12-2014 द्वारा श्री के. सी. किस्कू, भा.व.से. को दिनांक 22 से 30-12-2014 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए एल.टी.सी. उपभोग करते समय नियमानुसार 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी गई थी. श्री किस्कू के आवेदन दिनांक 19-01-2015 के अनुक्रम में उक्त अर्जित अवकाश एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2015

क्रमांक बी-1-2/2007/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुधीर कुमार सोम, तहसीलदार, बेमेतरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रुपये 5400 में पदोन्नत करते हुये डिप्टी कलेक्टर (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर जिला सुकमा में पदस्थ करता है.

2. श्री सोम को संयुक्त विचार क्षेत्र सूची में इनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री चन्द्रिका प्रसाद बघेल की पदोन्नति तिथि से कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति दी जाती है. काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित किया जायेगा तथा वास्तविक लाभ पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

3. उपर्युक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्नता अवधि के लिये होगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 7-02/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007), पुलिस अधीक्षक, महासमुंद को दिनांक 13-02-2015 से 20-02-2015 तक (कुल 08 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति सहित दिनांक 21, 22-02-2015 को घोषित शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री झा, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, महासमुंद के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री झा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007), अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री झा की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, महासमुंद के पद का प्रभार, श्री बालाजी राव सोमावार, भापुसे (2007), सेनानी, 3री वाहिनी, अमलेश्वर-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2015

क्रमांक 64/452/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, समाज कल्याण एवं जनसंपर्क विभाग को दिनांक 09-02-2015 से 13-02-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 08, 14, 15-02-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, समाज कल्याण एवं जनसंपर्क विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी.डी. दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2015

क्रमांक 66/206/अव./2003/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16-02-2015 से 24-02-2015 तक 09 दिवस का (दिनांक 14, 15-02-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अमृत लाल लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक 70/524/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. एस. गुर्जर, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 07-03-2015 से 13-03-2015 तक 07 दिवस का (दिनांक 06, 14, 15-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. गुर्जर आगामी आदेश तक अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. एस. गुर्जर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एस. गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्रमांक 321/1854/2014/1-8.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2150/आर-1854/2014 दिनांक 22-09-2014 सहपठित आदेश क्रमांक 31/1854/2014/1-8 दिनांक 07-01-2015 द्वारा विदेशों में काम आने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु (प्रमाण पत्रों/उपाधि/दस्तावेजों को अभिप्रमाणित-पद की मोहर सहित) श्री याकूब खेस्स, उप सचिव, श्रम विभाग को प्राधिकृत किया गया है.

2. एतद्द्वारा श्री याकूब खेस्स, उप सचिव, श्रम विभाग के अलावा विदेशों में काम आने वाले प्रवासियों के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेज (जैसे-ड्राईविंग लायसेंस, पर्सनल एफिडेविड, बैंक स्टेटमेन्ट, वोटर कार्ड आदि) के सत्यापन हेतु श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को आगामी आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है.

3. श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव का नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार है :—

1. ________ 2. ________

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्रमांक 340/3896/2014/1-8.—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-10/2014/स्था./चार/1246 दिनांक 08-08-2014 द्वारा सुश्री ज्योति ठाकुर, सहायक संचालक (वित्त सेवा), संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर वित्त विभाग, मंत्रालय में पदस्थ किया गया है.

2. उक्त आदेश के अनुक्रम में एतद्द्वारा सुश्री ठाकुर की सेवायें वित्त विभाग से लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, वित्त विभाग में अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थ करते हुए, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक 82/113/अव./2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19-01-2015 से 31-01-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 17, 18-01-2015 एवं, 01-02-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक 84/2185/अव./2012/1-8/स्था.—श्री ए. के. सिन्हा, वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 27-01-2015 से 10-02-2015 तक 15 दिवस का (दिनांक 25, 26-01-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. के. सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 86/808/2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 467-68/88/2011/1-8/स्था, दिनांक 09-07-2014 के पैरा-1 में अंकित दिनांक 16-06-2014 से 28-06-2014 तक 13 दिवस के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुये श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 16-06-2014 से 20-06-2014 तक 06 दिवस का (दिनांक 14, 15, 21, 22-06-2014 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 09-07-2014 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 9-5/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-02-2014 एवं सहपठित आदेश दिनांक 07-07-2014 द्वारा श्री एस. के. चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त), राज्य वित्त सेवा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, संयुक्त सचिव के पद पर एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान करते हुए उन्हें वित्त विभाग में पदस्थ किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चक्रवर्ती की संविदा नियुक्ति की अवधि, जो दिनांक 19-02-2015 को समाप्त हो रही है, में एक वर्ष की वृद्धि करते हुए, उनकी संविदा नियुक्ति उप सचिव के पद पर की जाकर, उन्हें वित्त विभाग में पदस्थ करता है.

3. श्री चक्रवर्ती की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्रमांक 1395/3527/21-ब/2015.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाला (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री रेव्ह. डॉ. क्रिस्टोफर वेस्ले, ट्रिनीटी चर्च, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 1395/3527/21-B/2015.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Shri Rev. Dr. Christopher Wesley, Trinity Chruch, Bilaspur for District Bilaspur of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage; and

2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक 1542/32/21-ब/छ.ग./2015—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रेशम लाल पटेल, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त

लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्रमांक 1483/252/21-ब/छ.ग./15—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर, के द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 22-10-2014 से नोटरी का पद त्याग करने की सहमति दिये जाने के फलस्वरूप उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 7-1/2013/32.—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 6 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती रानू दिवेकर, सेवानिवृत्ति जिला न्यायाधीश, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

2. श्रीमती दिवेकर की सेवा शर्तें अलग से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 7-75/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कांकेर विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है. कांकेर विकास योजना, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

2. कांकेर विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कांकेर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कांकेर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, कांकेर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से कांकेर विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 7-75/2014/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में कांकेर विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनाक 05-2-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th February 2015

No. F 7-75/2014/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Kanker Development Plan-2031 submitted by Directorate Town & Country Planning, Raipur under sub-section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Kanker Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Kanker (C.G.)
3. Collector, Kanker (C.G.)

3. The Kanker Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 7-25/2010/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17(क) (1) के अंतर्गत बिलासपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है :—

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)
(क)	1. महापौर	नगर पालिक निगम, बिलासपुर
	2. अध्यक्ष	नगर पंचायत तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)
	3. अध्यक्ष	नगर पंचायत सिरगिट्टी, बिलासपुर (छ.ग.)
	4. अध्यक्ष	नगर पंचायत बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.)
	5. अध्यक्ष	नगर पंचायत संकरी, बिलासपुर (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, बिलासपुर (छ.ग.)
(ग)	सांसद	लोक सभा बिलासपुर (छ.ग.)
(घ)	1. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर (छ.ग.)
	2. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, तखतपुर तिलक नगर, बिलासपुर (छ.ग.)
	3. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, बिल्हा राघवेन्द्र नगर, बिलासपुर (छ.ग.)
	4. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
	5. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, बेलतरा, बिलासपुर (छ.ग.)
	6. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.)
(ङ)	कोई नहीं	नगर तथा ग्राम निवेश/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
(च)	1. अध्यक्ष	जनपद पंचायत बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.)
	2. अध्यक्ष	जनपद पंचायत तखतपुर, तह. कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
	3. अध्यक्ष	जनपद पंचायत मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.)
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत कोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत मंगला, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत उसलापुर, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत घुरू, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत अमेरी, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत परसदा, तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत फदहाखार सरवानी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत नगपुरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत कोरमी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत बसिया, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत हरदीकला, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत सिलपहरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत ढेका, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत महमद, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत दोमुहानी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत देवरीखुर्द, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत लिंगयाडीह, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत मोपका, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत खमतराई, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत बहतराई, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत बिरकोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत सेन्दरी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत कछार, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	24. सरपंच	ग्राम पंचायत रमतला, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	25. सरपंच	ग्राम पंचायत सेमरताल, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	26. सरपंच	ग्राम पंचायत नगोई, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	27. सरपंच	ग्राम पंचायत बैमा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	28. सरपंच	ग्राम पंचायत उरतुम, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	29. सरपंच	ग्राम पंचायत हरदीडीह उरतुम, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	30. सरपंच	ग्राम पंचायत बिजौर, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)
	31. सरपंच	ग्राम पंचायत परसाही, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	32. सरपंच	ग्राम पंचायत लगरा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	33. सरपंच	ग्राम पंचायत चिल्हाटी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	34. सरपंच	ग्राम पंचायत फरहदा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	35. सरपंच	ग्राम पंचायत धूमा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	36. सरपंच	ग्राम पंचायत पोढ़ी (स), बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	37. सरपंच	ग्राम पंचायत लिमतरा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	38. सरपंच	ग्राम पंचायत मगरउछला, लिमतरी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	39. सरपंच	ग्राम पंचायत नगरौडी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	40. सरपंच	ग्राम पंचायत खपराखोल, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	41. सरपंच	ग्राम पंचायत कडार, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	42. सरपंच	ग्राम पंचायत चकरभाठा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	43. सरपंच	ग्राम पंचायत धमनी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	44. सरपंच	ग्राम पंचायत तिलसरा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	45. सरपंच	ग्राम पंचायत मुढ़ीपार बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	46. सरपंच	ग्राम पंचायत सेवार, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	47. सरपंच	ग्राम पंचायत भटगांव, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	48. सरपंच	ग्राम पंचायत परसदा, भटगांव, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	49. सरपंच	ग्राम पंचायत पेण्ड्रीडीह, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	50. सरपंच	ग्राम पंचायत रहंगी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	51. सरपंच	ग्राम पंचायत खम्हारडीह, रहंगी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	52. सरपंच	ग्राम पंचायत हरदी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	53. सरपंच	ग्राम पंचायत बोहारडीह, छाल, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	54. सरपंच	ग्राम पंचायत बोड़सरा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	55. सरपंच	ग्राम पंचायत खैरा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	56. सरपंच	ग्राम पंचायत छतौना, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	57. सरपंच	ग्राम पंचायत अमसेना, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	58. सरपंच	ग्राम पंचायत बेलमुंड़ी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	59. सरपंच	ग्राम पंचायत चिचिरदा, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	60. सरपंच	ग्राम पंचायत कोपरा, उड़ेला, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	61. सरपंच	ग्राम पंचायत सैदा, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	62. सरपंच	ग्राम पंचायत मेंडरा तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	63. सरपंच	ग्राम पंचायत पोड़ी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	64. सरपंच	ग्राम पंचायत बहतराई, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	65. सरपंच	ग्राम पंचायत दबेना, बहतराई, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	66. सरपंच	ग्राम पंचायत सम्बलपुरी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	67. सरपंच	ग्राम पंचायत पेण्डारी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	68. सरपंच	ग्राम पंचायत हाफा, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	69. सरपंच	ग्राम पंचायत जोकी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	70. सरपंच	ग्राम पंचायत लोखंडी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	71. सरपंच	ग्राम पंचायत तुरकाडीह, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	72. सरपंच	ग्राम पंचायत निरतू, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	73. सरपंच	ग्राम पंचायत काठाकोनी, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	74. सरपंच	ग्राम पंचायत मानिकपुर, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	75. सरपंच	ग्राम पंचायत लिमतरा, मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	76. सरपंच	ग्राम पंचायत लावर, मस्तुरी जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	77. सरपंच	ग्राम पंचायत दर्रीघाट, मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)
	78. सरपंच	ग्राम पंचायत कर्रा, मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	79. सरपंच	ग्राम पंचायत कदहा, मस्तुरी जिला-बिलासपुर
	80. सरपंच	ग्राम पंचायत बन्नाकडीह
	81. सरपंच	ग्राम पंचायत परसदा, सकरी, जिला-बिलासपुर
	82. सरपंच	ग्राम पंचायत बिनौरी, काठाकोनी, जिला-बिलासपुर
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इंडिया के प्रतिनिधि
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया के प्रतिनिधि
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल आफ आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

2. यह समिति अधिनियम की धारा 17(क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

3. इस संबंध में विभाग का आदेश क्रमांक एफ 7-25/2010/32 दिनांक 4-4-2013, 19-6-2013 एवं दिनांक 13-8-2014 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/28/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मांदरी	0.074	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	मांदरी-कछारपारा-मोदे मार्ग के कि.मी. 1/6 पर मांदरी नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग.

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/31/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	मुरूमतरा	0.17	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	अरौंद - मुरूमतरा - देवीनवागांव मार्ग के कि.मी. 4/6 पर झुरा नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्रमांक/39/कले/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-दुर्गूकोंदल
- (ग) नगर/ग्राम-चिखली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	57	0.45
	61	0.32
योग		0.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोटरी नदी पर सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक 260/नग्रानि/कबीरधाम/स्ट्. प्लान पंडरिया/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पंडरिया निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कबीरधाम एवं कार्यालय नगर पंचायत पंडरिया में दिनांक 27-02-2015 से कार्यालयीन अवधि के 30 दिनों तक कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

पंडरिया निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

पंडरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम धृतपुर, सेम्हरकांपा, पंडरिया तथा बिरकोना के उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बिरकोना, पंडरिया, सिंगारपुर, अलीपुर तथा मोतिमपुर की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मोतिमपुर, मेनपुरा, सोनपुरी तथा तेन्दुवाडीह के दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम तेन्दुवाडीह तथा धृतपुर की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 260/T & CP Pandariya/S.P-Kabirdham/2015.— Notice is hereby given that the existing land use map for Pandariya planning area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 27-02-2015 to till 30 days of working, during office hours in the office of Collector District Kabirdham C.G., office of the Assistant Director, Town and Country Planning Kabirdham and office of the Nagar Panchayat Pandariya C.G.

The limit of Pandariya planning area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of Pandariya Planning Area

NORTH : Village Dhutpur, Semharkapa, Pandariya & upto Northern limit of Village-Birkona.

WEST : Village Birkona, Pandariya, Singarpur, Alipur & upto Western limit of Village Motimpur.

SOUTH : Village Motimpur, Mainpura, Sonpuri & upto Southern limit of Village Tenduawadih.

EAST : Village Tenduawadih & upto Eastern limit of Village Dhutpur.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to Director Town and Country Planning Chhattisgarh Naya Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gazette”

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisgarh.

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कबीरनगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. 7261/तक./छ.प.सं.मं./2015.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन किया गया है.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अधीन निम्न हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है :—

1. किसी उद्योग, संक्रिया, प्रक्रिया अथवा किसी शोधन तथा व्ययन पद्धति, अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने आदि गतिविधियों के लिए जिनसे सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुंए या सीवर या भूमि पर निस्सारण की संभावना हो; कि स्थापना करने या उसकी स्थापना हेतु उपाय करने के लिये ; अथवा

2. सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुंए या सीवर या भूमि पर निस्सारण हेतु किसी नये अथवा परिवर्तित निकास को उपयोग में लाने के लिये; अथवा

3. किसी नये सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुंए या सीवर या भूमि पर निस्सारण प्रारंभ करने के लिये.

4. सीवेज तथा औद्योगिक निस्त्राव का निस्सारण जारी रखने हेतु

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन औद्योगिक संयंत्र में उत्सर्जन के निकास/उत्सर्जन के नये निकास बनाना प्रारंभ करने, उत्सर्जन का निकास चालू रखने के लिये किसी नवीन/परिवर्तित चिमनी का उपयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से वायु सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के नियम 4 तथा 6 के प्रावधानों के अनुसार किसी स्थानीय संस्था अथवा व्यवस्था के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा (जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी शामिल है) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार प्रथम बार सम्मति 12 मास के लिए जारी की जाती है, तदुपरांत सम्मति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाना होता है. इसी प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम बार प्राधिकार 12 मास के लिए जारी की जाती है, तदुपरांत प्राधिकार का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाना होता है. प्रतिवर्ष नवीनीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत तथा उद्योगों/संस्थाओं को सुविधा के दृष्टिकोण से सम्मति/प्राधिकार के प्रतिवर्ष के नवीनीकरण के स्थान पर अधिक समय के लिए नवीनीकरण किये जाने की मांग होती रही है.

उपरोक्त को ध्यान में रखकर विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 (4) (a) (iii) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1504/तक./छ.ग.प.सं.मं./2008, रायपुर दिनांक 17-03-2008 में संशोधन कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले आगामी अवधि के सम्मति नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति नवीनीकरण :—

(अ) वृहद/मध्यम/लघु श्रेणी उद्योगों/संस्थाओं बाबत :—

क्रमांक	उद्योग/संस्था के प्रदूषणजनक गतिविधियों का प्रकार	सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	लाल	05 वर्ष
2.	नारंगी	10 वर्ष
3.	हरी	15 वर्ष

(ब) स्थानीय संस्थाओं बाबत :—

क्रमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी	सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	नगर पालिक निगम	05 वर्ष
2.	नगर पालिका	10 वर्ष
3.	नगर पंचायत	15 वर्ष

इसी प्रकार विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के नियम 6(3) एवं (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका दिनांक 24-08-01 के परिपेक्ष्य में किसी स्थानीय संस्था अथवा व्यवस्था के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा (जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी शामिल है) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले प्राधिकार के आगामी अवधि के नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :—

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 अंतर्गत प्राधिकार नवीनीकरण :—

क्रमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी/स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले व्यवस्था के संचालक	प्राधिकार नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	नगर पालिक निगम	03 वर्ष
2.	नगर पालिका	05 वर्ष
3.	नगर पंचायत	10 वर्ष

सम्मति/प्राधिकार के आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर आवश्यक शर्तों के साथ किये जा सकेंगे. इस संबंध में अधिकतम समयसीमा के निर्धारण का अंतिम अधिकार राज्य बोर्ड अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल/प्राधिकृत अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का होगा.

एक से अधिक वर्षों के सम्मति/प्राधिकार के नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही के लिए आवश्यक शर्तें (जहां जैसा लागू हो) निम्नानुसार होगी :—

1. छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 883/1018/आपर्या/2003, रायपुर, दिनांक 31 मई 2003 के अनुसार सम्मति नवीनीकरण हेतु अधिकतम आवेदित अवधि के लिए निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य

होगा. सम्मति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये जाने से पूर्व यदि सम्मति नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क में वृद्धि होने पर संशोधित दर से अंतर का सम्मति नवीनीकरण शुल्क संदाय किया जावेगा.

2. सम्मति नवीनीकरण की अवधि में केपीटल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने पर निर्धारित फीस के अंतर का सम्मति नवीनीकरण शुल्क संदाय किया जावेगा.

3. सम्मति नवीनीकरण अवधि में उत्पाद, उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल, दूषित जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं गुणवत्ता, वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा, ईंधन की मात्रा एवं प्रकार, संक्रिया, प्रक्रिया, शोधन प्रक्रिया आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा.

4. जिन गतिविधियों हेतु सम्मति/प्राधिकार जारी की गई है उसके अतिरिक्त गतिविधियां, अर्थात् :—

❖ किसी संक्रिया, प्रक्रिया अथवा किसी शोधन तथा व्ययन पद्धति, अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने आदि गतिविधियों के लिए (जिनसे सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुंए या सीवर या भूमि पर निस्सारण की संभावना हो) की अतिरिक्त स्थापना करने या उसकी स्थापना हेतु उपाय करने के लिये; अथवा

❖ सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुंए या सीवर या भूमि पर निस्सारण हेतु किसी नये अथवा परिवर्तित निकास को उपयोग में लाने के लिये; अथवा

❖ किसी नये सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुंए या सीवर या भूमि पर निस्सारण प्रारंभ करने के लिये; अथवा/और

❖ औद्योगिक संयंत्र में उत्सर्जन के निकास/उत्सर्जन के नये निकास बनाना प्रारम्भ करने, उत्सर्जन का निकास चालू रखने के लिए किसी नवीन/परिवर्तित चिमनी का उपयोग करने के लिये; अथवा/और

❖ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की संक्रिया/प्रक्रिया आदि अथवा किसी शोधन तथा निपटान सुविधा (भूमि भरण शामिल) की संक्रिया/प्रक्रिया आदि में कोई परिवर्तन करने अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने की दशा में;

नई सम्मति/प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस हेतु निर्धारित सम्मति शुल्क सहित निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया जाना होगा.

पर्यावरण की दृष्टि से व विशेष परिस्थिति में किसी उद्योग की श्रेणी में परिवर्तन अथवा सम्मति/प्राधिकार के संशोधन या इस आदेश में आवश्यक समझे जाने पर संशोधन के अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास सुरक्षित रहेगा.

देवेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्रमांक 27/दो-2-6/2013.—श्री जेरोम कुजूर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, महासमुन्द दिनांक 31-12-2014 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 18th February 2015

No. 1451/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

(1) Shri Sumit Kumar Harsyana, J.M.S.C., Dantewara
(2) Smt. Chandrakala Devi Sahu, J.M.S.C., Surajpur
(3) Ku. Rajeshwary Suryawanshi, J.M.S.C., Surajpur
(4) Shri Vyankatesh Singh, J.M.S.C., Bilaspur
(5) Shri Momamed Jahangir Tigala, J.M.S.C., Bilaspur
(6) Shri Pawan Kumar Agrawal, J.M.S.C., Bilaspur
(7) Shri Radheshyam Dhruw, J.M.S.C., Bilaspur
(8) Shri Girish Kumar Mandavi, J.M.S.C., Bilaspur
(9) Shri Pankaj Dixit, J.M.S.C., Bilaspur
(10) Shri Mahesh Babu Sahu, J.M.S.C., Rajnandgaon
(11) Shri Nixion Daved Lakra, J.M.S.C., Rajnandgaon
(12) Ms. Shubdha Goyal, J.M.S.C., Rajnandgaon
(13) Shri Mohit Singh, J.M.S.C., Kanker.

By order of the hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 26th December 2014

No. 49 (Mis.)/I-7-3/2014 (Pt.-I).— 29th December, 2014 (Monday) is declared as the holiday for the High Court Registry, on account of Nagariya Nikay Elections 2014.

By order of the hon'ble High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, I/C Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक 28/दो-3-25/2007.—श्री मंसूर अहमद, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-09-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.